

**@shahjhanpurpol**

**प्रेस नोट: सराहनीय कार्य – दिनांक 26.06.2021**

**थाना खुटार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध शैम्पू के पाउच व 01 वैगनार कार सहित 01**

**अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

श्री एस. आनन्द, पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्री संजीव कुमार बाजपेयी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री नवनीत कुमार नायक, क्षेत्राधिकारी पुवायां के निर्देशन में थाना खुटार पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई।

दिनांक 24/06/2021 को श्री जयशंकर सिंह, थानाध्यक्ष खुटार के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा समय 19.00 बजे चैकिंग के दौरान चांदपुर चौराहे के पास से एक वैगनार कार न० UP 22 N- 5828 में से 04 गत्ते कुल 30,927 पाउच क्लिनिक प्लस शैम्पू बरामद हुआ तथा चालक मोहम्मद फारूख पुत्र मोहम्मद रियाज निवासी ग्राम हमीरपुर थाना से०म०उ० जनपद पीलीभीत को हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पर मु०अ०स० 246/21 धारा 63/65 कापीराइट एक्ट व 103/104 ट्रेडमार्क अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**विवरण पूछताछ-**

दौराने पूछताछ से ज्ञात हुआ कि वाहन चालक मोहम्मद फारूख मैलानी से अज्ञात टैम्पू चालक से माल डिलीवरी लिया तथा उक्त माल को साजिद निवासी ग्राम हमीरपुर थाना से०म०उ० जनपद पीलीभीत के यहां देने जा रहा था। पूछताछ पर चालक माल की रसीद नहीं दिखा सका तथा पूछताछ से इतना बताया कि साजिद यह माल जनपद कानपुर से लखीमपुर खीरी होकर मैलानी मंगाते हैं तथा शैम्पू को छोटे कस्बों/ छोटे दूकानदारों को बेच देते हैं। मौके पर शैम्पू के पाउच को चैक किया गया तो उसके पीछे निर्माण की तिथि व बैच न० अंकित नहीं था तथा मोबाइल के जरिये बार कोड चैक करने पर सही मिलान नहीं हो पाया जिससे मौके पर प्रथम दृष्टया माल नकली होना पाया गया। साजिद के घर पर तलाशी की गयी तो वह घर पर नहीं मिला। साजिद की गिरफ्तारी के बाद नकली माल की फैक्ट्री/स्रोत का पता चल सकेगा। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जे०पी० सिंह और ड्रग इंस्पेक्टर श्री देवबन्धु विमल को जरिये टेलीफोन सूचित कर बुलवाया गया जिनके द्वारा माल को चैक करने पर प्रथम दृष्टया नकली होना बताया गया जिसके सैम्पल जांच हेतु लिये गये हैं। **क्लिनिक प्लस कम्पनी ( हिन्दुस्तान लीवर)** के लीगल सैल को भी विधिक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिया गया है। मौके पर बरामद वैगनार कार उपरोक्त के कागज ना होने की दशा में उसे सीज किया गया। पूछताछ से यह भी ज्ञात हुआ कि यह लोग काफी समय से नकली शैम्पू की सप्लाई करते हैं तथा गरीब लोग समझ नहीं पाते हैं कि शैम्पू असली है कि नकली है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-**

मोहम्मद फारूख पुत्र मोहम्मद रियाज निवासी ग्राम हमीरपुर थाना से०म०उ० जनपद पीलीभीत।

**बरामदगी का विवरण:-**

1. एक Wagon R Car No UP 22 N- 5828
2. 4 गत्ते कुल 30,927 पाउच किलनिक प्लस सैम्पू

**अपराधिक इतिहास:-**

मु0अ0स0 246/21 धारा 63/65 कापीराइट एक्ट व 103/104 ट्रेडमार्क अधिनियम थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुरा

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

- 1.थानाध्यक्ष श्री जयशंकर सिंह थाना खुटार शाहजहाँपुरा
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना खुटार शाहजहाँपुरा
3. का0 रोहित जावला थाना खुटार शाहजहाँपुरा
4. का0 जितेन्द्र सिंह थाना खुटार शाहजहाँपुरा